राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/217/2020-KSP

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिनांक **15.07.2020** की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगणः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री पल्लव मोहापात्रा, एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3. श्री आलोक श्रीवास्तव, ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
4. श्री बी.के. पति, उपसचिव, रा.पि.व.आ.
5. श्री स्मृति रंजन दास, जीएम, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6. अन्य अधिकारीगण

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- नमस्कार सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- नमस्कार।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- मैं पल्लव महापात्र, एमडी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और मेरे साथ मिस्टर आलोक श्रीवास्तव, ईडी है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– आप सभी लोगों का स्वागत है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की इस मीटिंग में और एमडी साहब कुछ जानकारी चाहिये थी।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एमडी साहब एक प्रश्नावली आपके पास भेजी गयी थी। प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 18एच में पूछा गया था कि क्या डीपीसी में ओबीसी के किसी सदस्य को शामिल किया जाता है? आपकी जो प्रमोशन की कमेटी होती है उसमें किसी ओबीसी मेम्बर को रखा जाता है क्या? उसकी जानकारी मांगी गयी थी।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर, उसमें या तो एससी, एसटी कैटेगरी या ओबीसी से कोई एक रखा जाता है जो प्रमोशन इंटरवयू पेनल है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – नहीं, वो ठीक है इसमें 18एच है आपके पास जो जवाब आपने हमको भेजा है?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- हाँ सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – 18एच में पूछा गया था कि क्या ओबीसी का सदस्य डीपीसी में शामिल रहता है तो इसमें नियम बताया गया है कि There is no reservation to OBC candidates.

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- नहीं सर प्रमोशन प्रोसेस में हमारे रूल के हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं है रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – नहीं, हमने तो पूछा था कि वहां ओबीसी का कोई मेंबर बैठता है या नहीं बैठता है।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सॉरी सर, वो वाला पार्ट मिस हो गया है उसको बनाकर भेज देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – प्रश्न स. 12 में ओबीसी के प्रमोशन से संबंधित जानकारी मांगी गयी थी। अतः स्पष्ट करें कि प्रमोशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया था या ओबीसी के प्रमोशन की जानकारी मांगी गई थी। प्रत्येक लेवल जैसे जीएम, डीजीएम, एजीएम आदि के पदों पर नियुक्त कुल अधिकारियों की संख्या और उन पदों पर ओबीसी कैटेगरी के अधिकारियों की संख्या बताई जाये।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- ये संख्या तो अलग से हमने दिया है। सर आइटम न. 5 में हांलकि हमने उसको स्केल वाइज दिया है तो स्केल वाइज मतलब स्केल 7 का मतलब जीएम, स्केल 6 का मतलब डीजीएम, स्केल 5 का मतलब एजीएम,

स्केल 4 का मतलब चीफ मैनेजर, स्केल 3 का मतलब मैनेजर, स्केल 2 का मतलब डिप्टी मैनेजर, स्केल 1 का मतलब असिस्टेंट मैनेजर है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– इसीलिये सरकार ने 13.02.2014 को एक आर्डर जारी किया है और उस आर्डर में सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी कमेटी होगी उसमें ओबीसी का मेंबर अलग से शामिल रहे। लेकिन आप किसी कमेटी/डीपीसी में बैठाते नहीं है और जिसका परिणाम यह होता है कि स्केल 6-7 में कोई ओबीसी का आदमी नहीं है। 0-0 कर के आपने भेज दिया है।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- मैं इसको देख लूंगा सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – अब देख क्या लेंगे जब एजीएम लेवल पर ही आप प्रमोशन देना बंद कर दिये तो फिर आगे क्या प्रमोशन देंगे।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- एजीएम में 6 है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – हाँ तो 6 है न, 116 में से 6। वहीं आप बैरियर लगा देते है। टोटल एजीएम के पोस्ट कितने है?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- 232 है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – 232 में कितने ओबीसी है?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- 8 है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – आप समझिये 232 में आप 8 दे रहे हो। देश की 54% आबादी ओबीसी है, 54% जनसंख्या को आप चार प्रतिशत प्रतिनिधित्व दे रहे है और सरकार की अपेक्षा है 27%। एससी, एसटी का तो रिजर्वेशन है इसलिये देना मजबूरी है। इसीलिये एससी, एसटी का सरकार ने रिजर्वेशन किया।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – प्रश्न संख्या 7 बी के उत्तर में बताया गया है कि 02.07.1997 को पोस्ट बेस्ड रोस्टर की स्वीचिंग के समय ओबीसी के

पवन कुमार

पदों का कोई शार्टफॉल नहीं था क्या यह सही है? यदि हाँ तो बताया जाये 02.07.1997 को बैंक में लेवल वाइज पदों की कुल कितना संख्या थी? तथा ओबीसी के लिये आरक्षित कुल पदों की संख्या कितनी थी? ओबीसी के लिये आरक्षित पदों पर नियुक्त ओबीसी की संख्या कितनी थी? ये जवाब आयोग को शपथ-पत्र पर दिया जाये।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः</u> – नहीं है तो शपथपत्र पर आयोग को उत्तर भेजियेए।

<u>एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> मैने बोल दिया है सर अंडर ऐफिडेविट ये फीगर देंगे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः</u> – प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में सभी लेवल के पदों में ओबीसी की संख्या 27% से कम है जबकि 7बी के उत्तर में बताया गया कि 02.07.1997 को पोस्ट बेस्ड रोस्टर की स्विचिंग के समय ओबीसी को पदों पर कोई शार्टफॉल नहीं था तो किस कारण से ओबीसी का प्रतिशत 27% से कम रहा गया है स्पष्ट करें और सफाई कर्मचारी और सब-स्टाफ में ओबीसी की संख्या प्रतिवर्ष क्यों घटती जा रही है?

<u>ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</u>:- सर, इसमें वर्ष 2016 का ऑनवर्ड डेटा दिया हुआ उसमें आपने देखा है कि हमारा फीगर इंप्रूव करता जा रहा है और 20 प्रतिशत से बढते हुए लगभग 24% तक पहुँच गया है। सर इसमें जो ओबीसी की पॉजीशन है वो ग्रुप ए ऑफिसर में 26% है, क्लेरिकल कैडर में 23.5% है, सब-स्टाफ में 27% है और सफाई कर्मचारी में 22.5% है। टोटल सर लगभग 25% आरक्षण इसमें है तो ये आवर ऑल हर साल इम्प्रूव कर रहा है और बैकलॉग कभी-कभी इसलिये हो जाता है कि जब रिक्रूटमेंट में हमें मिलता है आईबीपीएस के माध्यम से और वहा पर जो हमें अलॉट होते है उसमें से कई लोग ज्वाइन नहीं करते है इसलिये वह पोस्ट रिक्त रह जाता है फिर सर अगले साल की प्रक्रिया में हम उनको एड करके देते है कि हमें ये बैकलॉग के साथ इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। तो सर वो हमें प्रतिपूर्ति आईबीपीएस कर देता

है और क्लेरिकल कैडर में ये स्टेट वाइज होता है और हर एक स्टेट का अलग- अलग मापदण्ड है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – आप ये बताइये ऑफिसर ग्रेड ए की बात करें तो 2016 में 18% था 2017 में 20% और 2018 में 21%।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- 2019 में ऑफिसर में 23.99% था क्लेरिकल में 22.61% और सबआर्डिनेट में 25.77% और सफाई कर्मचारी में 22.16%। सर 8 में जो स्टेटमेंट में हमारे ईडी साहब बता रहे थे कि हर कैटेगरी में ये प्रतिशत बढ़ रहा है अगर हम 2016 से भी शुरू करे, ऑफिसर का ही एक प्वाइंट ले तो 18.37 से बढ़ा 20.16 से बढ़ा 21.75 उसके बाद बढ़ के हो गया 23.99, क्लेरिकल में अगर देखे तो 20.27 से 20.95 से 21.13 से 22.61 और सबआर्डिनेट में देखे तो सर सबोर्डिनेट में 23.48 से 23.98 से 25.17 और 25.77।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः –एक बात और बताइये कि इसमें कहीं वो कैन्डिटेट तो शामिल नहीं जो सामान्य वर्ग में मेरिट पर आये हो और ओबीसी हो।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- नहीं, जो बच जाते है उसको हम कैरी फोर्वर्ड कर लेते है नेक्स्ट ईयर के लिये, उसमें हम सामान्य वर्ग वालों को नहीं लेते।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – नहीं, वो ओबीसी के लोग जो सामान्य वर्ग में सेलेक्ट हुए है।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- वो उसमें नही आयेगा, अगर वो अपने मेरिट के दम पर सामान्य वर्ग में आ जाते है तो उनको हम इसमें एड नहीं करते। इसमें तो हम उनको एड करते है जिसको इस कैटेगरी में मिला है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – ठीक है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – ये प्रश्न संख्या 9ए में जो जवाब दिया है इसमें ओबीसी के रिक्त पदों की संख्या हर साल क्यों बढ़ती जा रही है।

ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर इसमें जब हम रिक्रूटमेंट करते है तो रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के माध्यम से होती है सभी बैंकों की, तो उनसे हम नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक कैटेगरी वाइज उनको हम देते है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है based on the backlog, कोशिश करते है हमारे पास पूरी कर दे लेकिन कई लोग उसमें से ज्वाइन भी नही करते है वो कहीं ओर चले जाते है सर। तो वो हमारी पॉजीशन खाली रह जाती है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- सेंट्रल बैंक की नौकरी कौन छोड़ेगा। आप समझिये कि बैकलॉग 58 से बढ़कर 216 हो गया है।

ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- 2 साल तो हम रिक्रूटमेंट कर नहीं पाये थे क्योंकि बैंक पीसीए में था पिछली 2 बार हम रिक्रूटमेंट कर नहीं पाये थे। इस साल हम रिक्रूटमेंट कर रहे है तो इस बार हमें ऑफिसर भी मिलेंगे और करीब 1000 क्लेरिकल कैडर में भी वो प्रोवाइड करेंगे।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जैसे सर आप 2019 को देखे तो 2019 में हमने एक भी रिक्रूटमेंट नहीं किया है देखिए पहले वाले कालम में 0-0 है हालांकि अब इसमें 5 अपाइंट हो गये जिसकी वजह से 221 से बैकलॉग 216 पर आ गया। इस बार तो हम रिक्रूटमेंट कर रहे है जिसके बाद मेरे ख्याल से समानता आ जायेगी उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बैकलॉग को जितना मैक्सीमम हो वो फिलअप किया जा सके। सर इसमें एक चीज और भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बैंक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस समय बैलेंसशीट पाइंड ऑफ व्यू से काफी कमजोर है अभी कैपिटल की बहुत समस्या है जो रिजर्व बैंक ऑफि इंडिया ने हमें पीसीए में भी रखा है उन्होने हमारे रिक्रूटमेंट पर रोक लगा रखी है कि 31.03.2017 में आपकी जो स्टाफ पोजिशन थी उससे स्टाफ पोजिशन बढनी नहीं चाहिये, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हो। अब इस स्थिति में जो दूसरे बैंक रिक्रूटमेंट कर रहे थे तो डेफिनेटिली बहुत सारे ओबीसी

के कैंडिडेट वहां पर ज्वाइन कर रहे थे चूंकि हमारे यहां रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही नही कर पा रहे थे तो हमारे यहां ज्वाइन करने का नही था। इस साल उम्मीद है कि 216 जहां तक हो सके ये बैकलॉग को हम फिल करेंगे और आईबीपीएस जो एंजेसी है जो सारे बैंक के लिये काम करता है उनको भी हमने यह बोला है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – इसको कंपलीट करवाइये।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– रोस्टर मांगा गया था रोस्टर की प्रतिलिपि क्यों नहीं संलग्न किया गया क्या कारण था?

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः–रोस्टर भेजिये और 08.09.1993, 02.07.1997, 13.12.1997 इन तीनों कट-ऑफ डेट का रोस्टर रजिस्टर आयोग को अवलोकनार्थ और 2019-20 का रोस्टर रजिस्टर आयोग को अवलोकनार्थ भेजा जाये।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- ये भेज देंगे सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– प्रश्न संख्या 10सी में लाईसन ऑफिसर के कमेंटस और एक्शन टेकन रिपोर्ट संलग्न करने को कहा गया था वो भी आप लोगों ने संलग्न नहीं किया।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– ओबीसी के लाईसन ऑफिसर कौन है?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर, सैन्ट्रल ऑफिस में जो लाईसन ऑफिसर है वो जीएम रैंक के है मिस्टर विजय कुमार।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– ये किस कैटेगरी के है?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- ओबीसी कैटेगरी के।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– इनका ओबीसी सर्टिफिकेट क्यों नहीं भेजा?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सॉरी सर, ये हमारे जो जीएम लेवल सैन्ट्रल ऑफिस में है वो ओबीसी कैटेगरी के नहीं है क्योंकि इस समय हमारे पास कोई ओबीसी के जीएम नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– हाँ तो जब 216 में से 6 को प्रमोशन देंगे तो कहां से जीएम होगा।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– ओबीसी का सेल अलग से बनाया गया है?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – ओबीसी सेल है अलग से?

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जी सर, एससी, एसटी, ओबीसी सेल हमारे यहां पर है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः – एक है या अलग-अलग है।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- एक ही है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– सरकार की अपेक्षा है कि 3 अलग-अलग बनाये जाये। तो कृपया ओबीसी सेल तत्काल अलग कर दीजिये।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जी सर, मतलब एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– हाँ ओबीसी का अलग कर दीजिए और जो बाकी कमीशन कहते है उस हिसाब से कर दीजिये, ओबीसी का अलग करिये।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– ओबीसी को प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं?

ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- हाँ, दी जाती है सर ओबीसी को प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आईबीपीएस के माध्यम से दी जाती है। हमारे यहां जब प्रमोशन प्रोसेस होता है तो सभी ओबीसी कैटेगरी को प्री-प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– नहीं प्री-रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ।

ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- हाँ सर वो दी जाती है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– ये जो 2016 और 2019 में ओबीसी की एक-एक शिकायत प्राप्त हुई ये शिकायते किस मामले से संबंधित थी और इन पर क्या कार्यवाही हुई?

ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः– सर 2016 में जो एक कंपलेंट थी उसमें एक रिप्रजेन्टेशन थी कि उनको सिंगल विंडो ऑपरेटर का Designation नहीं दिया गया है उसके बाद ये 2018 में क्लोज़ हुई और 2020 में मिस्टर के. कर्नाटासन एक्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे सर। इनका सस्पेंशन का था लेकिन बैंक के नार्म्स के अनुसार जो भी डिसीपिलिनरी प्रोसिडिंग होती है वो पूरी प्रोसिडिंग हुई है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– प्रश्न संख्या 20 के उत्तर में बताया गया है कि ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अलग नहीं किया जाता है, क्या यह सही है?

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मैं तो समझता था कि सेंट्रल बैंक बहुत अच्छा कर रहा है।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर इस समय तो थोड़ी सी समस्या से गुजर रहें हैं उम्मीद करता हूँ कि बाहर निकलेंगे और सभी क्षमताओ को उचित स्थान देंगे और आगे इन चीजों में काम करेंगे। इस समय थोड़ी सी समस्या है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– एमडी साहब ओबीसी को लोन भी आप लोग नहीं दे रहे हैं जो कुल लोन का हिस्सा है उसमें ओबीसी सिर्फ 12% है। मुद्रा लोन में क्या स्थिति है मुद्रा में ओबीसी को कितने % लोन आप लोगों ने दिया?

ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः – सर मुद्रा का आकड़ा अभी नही है वो हम भेज देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– मुद्रा लोन और एजुकेशन लोन आप लोगों ने ओबीसी को कितना दिया है?

ईडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- वो भेज देंगे सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः– बहुत-बहुत धन्यावाद।

एमडी एवं सीईओ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- धन्यवाद सर।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री पल्लव मोहापात्रा)
एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया CENTRAL BANK OF INDIA प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO C. O., Mumbai

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/217/2020-KSP

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिनांक 19.02.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगणः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री पल्लव महापात्र, एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3. श्री स्मृति रंजन दास, जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
4. श्री वी.के. महेन्द्रू, जोनल फील्ड मैंनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
5. श्री अमृतेश परमार्थ, चीफ मैनेजर, ओबीसी सेल इंचार्ज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6. श्री सुबोध कामले, मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– कार्यवाही शुरु की जाये।

एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पत्रांक संख्या मासंविःभएवंप-अजजाः2020-21:254 दिनांक 21.01.2021 में अनुबंध 6 लिखा है वह आयोग को दिखाया जाये।

जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर, वर्ष 2018-19 का वेरिफाई नहीं हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– इसमें बैकलॉग भरने के लिये कहा गया था क्या वह भरा गया?

जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर, हमारे बैंक के ऊपर वर्ष 2017 से आरबीआई ने पीसीए (प्रोम्ट करेक्टिव एक्शन) लगा रखा है, तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। जो हाल ही में रिक्रूटमेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट 4 जनवरी को दी है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– सेंट्रल बैंक का 08.09.1993, 02.07.1997 व 31.12.1997 का कट ऑफ डेट का रोस्टर कहाँ है?

<u>एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> सर, जब यह बात आपने बताई थी तो हमने जहां जहां पर उम्मीद थी कि रोस्टर रजिस्टर हो सकता है, वहां हमने यह दिखाया।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– बैंक को सिर्फ एक डेट का रोस्टर नहीं मिल रहा है।

<u>जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> सर, हमारे रोस्टर वर्ष 2009 से है क्योंकि हम पुराने रिकार्डस को एक निजी एजेंसी को भेज देते है। डीएफएस के निर्देश आये तब हमने इसको रिकंसट्रक्ट कराया। हमारे पास बोर्ड नोट्स की कापी है, उसी के आधार पर इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– बोर्ड नोट्स की कापी जिसके आधार पर आपने रोस्टर रिकंस्ट्रक्ट कराया है वह आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(बोर्ड नोट्स दिखाया गया।)

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>–वर्ष 1993 का रोस्टर दिखाया जाये।

<u>चीफ मैनेजर, ओबीसी सेल इंचार्ज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> सर, इसमें वर्ष 1994 और वर्ष 1999 का रोस्टर नहीं है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>–वर्ष 1995 का रोस्टर आयोग को दिखाया जाये।

(अन्य वर्ष के रोस्टर भी दिखाये गये।)

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– इन सभी रोस्टरों की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– क्या इस वर्ष से रिक्रूटमेंट किया जायेगा?

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/CENTRAL BANK OF INDIA
म.प्र.मा.सं.वि. G.M.-H.R.D.
17th FLOOR
कें.का./C.O.

<u>जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> सर, रिक्रूटमेंट अभी वर्ष 2021-22 में होगा।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u> इन सभी की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– क्या डीएफएस ने ओबीसी के चीफ लाईसन ऑफिसर के पोस्ट को डीग्रेड कर दिया है?

<u>जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> नहीं सर, जितने भी डीजीएम एवं जीएम बन गये हैं वे सब वर्ष 1993 से पहले नियुक्त हुए हैं।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– सब-स्टाफ और स्वीपर का ओरिजनल रोस्टर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(ओरिजनल रोस्टर दिखाया गया।)

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>–डीएफएस द्वारा अंतिम वेरिफाईड रोस्टर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

<u>जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> सर, डीएफएस द्वारा अंतिम रोस्टर वर्ष 2017 का वेरिफाई है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– वर्ष 2017 के रोस्टर की प्रतिलिपि आयोग को दी जाये।

<u>जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> जी सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः</u>– सेंट्रल बैंक का रोस्टर वेबसाइट पर किस वर्ष तक का उपलब्ध है?

<u>जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः-</u> सर, वेबसाइट पर वर्ष 2017, 2018 और 2019 तक का उपलब्ध है। अगर वेरिफिकेशन में कुछ बदलाव होते हैं तो फिर उसको अपडेट किया जायेगा।

पटवर्द्धन महाराज

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/CENTRAL BANK OF INDIA
म.प्र.-मा.सं.वि.
G.M.-H.R.D.
17th FLOOR
कें.का./C.O.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– वेबसाइट पर बिना वेरिफिकेशन के रोस्टर क्यों उपलब्ध है?

चीफ मैनेजर, ओबीसी सेल इंचार्ज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर, बैंक के चीफ लाईसन ऑफिसर ने वेरिफेकेशन किया है।

जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर, पारदर्शिता के लिये आपका निर्देश आया तब हमने किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जवाब में बिंदु 8 पर बताया गया है कि As per Government guidelines to all ministries and department in the year 2012 retention period 10 year for roster SC/ST.

जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– इसकी मूल प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

(मूल प्रतिलिपि दिखायी गयी।)

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः–पिछले 3 वर्षों में डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी के सदस्यों का नाम, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- सर, इसमें लिखा है कि पहले कोई नियम नहीं था। 26.10.2020 में इस पॉलिसी को Amend किया गया और उसमें वेतनमान और पदोन्नति में ओबीसी श्रेणी का एक सदस्य रहेगा। 26.10.2020 में पास किया गया। सर, उस समय आपने दिशा-निर्देश दिये थें।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– डीओपीटी द्वारा बताया गया है कि विभिन्न मंत्रालयो /विभागों /सार्वजिनक क्षेत्रों के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/बैंकों/इंश्योरेंस कंपनियों आदि में सभी लेवल के प्रमोशन की डीपीसी में ओबीसी के सदस्य को शामिल करने का क्या नियम है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग के निर्देशानुसार किसी भी पद में दस या उससे ज्यादा रिक्तियां भरने के लिये गठित चयन समिति या बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य तथा ओबीसी का एक सदस्य होना अनिवार्य है। यदि रिक्तियां दस से कम है तो भी इस प्रयत्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिये कि सलेक्शन कमेटी या बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी का एक सदस्य हो।

चीफ मैनेजर, ओबीसी सेल इंचार्ज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया:- सर, यह सीधी भर्ती है। प्रमोशन में हमने इसी पत्र का संदर्भ देते हुए डीएफएस को पत्र लिखा है।

(डीएफएस का पत्र दिखाया गया)

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कौन-कौन सी सब्सिडियरीज में 51% शेयरहोल्डिंग है?

एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में Cent Bank Home Finance Limited और Centbank Financial Services Limited में 51% और 64% शेयरहोल्डिंग है।

(सब्सिडियरीज कंपनी संबंधित जानकारी पत्र दिखाये गये।)

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– इनकी डीटेल आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः– श्री कन्ननदास, सेंट्रल बैंक के कर्मचारी हैं। He got all India best Manager reward from his bank in 1996 and again got the award 2000-01.

जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया:- सर, इसका जवाब हमने पहले भी दिया है। पत्र में लिखा है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- सेंट्रल बैंक के कर्मचारी कन्ननदास का क्या मामला है?

पदमा महापात्रे

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/CENTRAL BANK OF INDIA
म.प्र.-मा.सं.वि. G.M.-H.R.D. 17th FLOOR कें.का./C.O.

एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया:- सर, यह फ्रॉड है, इन पर एक्शन भी हुए हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रोस्टर की रिकास्टिंग कितनी बार की है?

जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया:- सर, हमारे यहां रोस्टर की रिकास्टिंग नहीं हुई है।

चीफ मैनेजर, ओबीसी सेल इंचार्ज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया:- सर, वर्ष 1993 में किया था। ईडब्लूएस का हमारे पास डीएफएस का निर्देश आया था कि थोड़ा सा बदलना है, तो हम लोग कर रहे है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आप इस चार्ट को पढ़ कर हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कीजिये और रोस्टर की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री अमृतेश परमार्थ)
चीफ मैनेजर, ओबीसी सेल इंचार्ज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(श्री स्मृति रंजन दास)
जीएम(एचआर), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(श्री पल्लव महापात्र)
एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/1/232-E/2020-KSP

वित्तीय सेवाएं विभाग व बैंको के साथ दिनांक 14.10.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार
2. श्री देबाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
3. श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक
4. सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक
5. श्री पल्लव महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6. श्री एस. कृष्णन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
7. श्रीमती एस.एन. राजेश्वरी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आप सभी लोगों का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में स्वागत है। आप सभी लोग इस सुनवाई में आये हैं, सुनवाई प्रारंभ करने से पहले एक बार सभी लोगों का परिचय हो जाये।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग:- नमस्कार मान्यवर, मै देबाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे साथ चार बैंकों के एमडी और एक इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी जुड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि एक-एक करके अपना परिचय दे, फिर अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं दो-चार बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। फिर जैसा माननीय सदस्य महोदय निर्देशित करेंगे उसके अनुसार बैठक को आगे बढ़ाया जायेगा।

एमडी एवं सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक:- नमस्कार सर, मैं सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी, पंजाब नेशनल बैंक।

एमडी एवं सीईओ, पंजाब एण्ड सिंध बैंकः- नमस्कार सर, मैं एस. कृष्णन, एमडी एवं सीईओ, पंजाब एण्ड सिंध बैंक।

एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- नमस्कार सर, मैं पल्लव महापात्र, एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।

सीएमडी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनीः- नमस्कार सर, मैं राजेश्वरी, सीएमडी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आप सब का स्वागत है।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभागः- सर, सर्वप्रथम हम आपके आभारी है कि आपने हमे आपसे रूबरू होने का मौका दिया और आज एक महत्वपूर्ण विषय है आयोग का जो मैंडेट है हम सभी लोग समझते है। सर, जो स्पेसिफिक इशु आयोग की तरफ से आयेगा उसमें जितने भी एमडी यहां पर मौजूद है और हमारे जितने सहयोगी यहां पर है हम सभी लोग यथासंभव आपको सन्तुष्ट करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं दो तीन चीजे आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जैसे हमरे डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ आदि जो अस्पताल में जिस प्रकार की सेवाएं दिये है बैंक के प्रत्येक कर्मचारी ने शाखा में बैठकर अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होने भी बैंकिग व्यवस्था को बिल्कुल कायम रखा। हम लोग नियमित रूप से उस समय उसकी समीक्षा कर रहें थे तो लगभग 97% शाखाये खुली हुई थी जहां कर्फ्यू लगा था और राज्य सरकारें उनको अनुमति नहीं दे रही थी उनको छोडकर जो हमारे बैंकिंग मित्र है वो भी गांव-गांव जाकर आपना ऑफिस या जहां से कार्य करते हैं वो लोग भी वहां पर मौजूद थे, एटीएम हमारे कार्य कर रहे थे। सर, सबके सहारे लगभग 20 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो खाता धारक थे महिलाएं थीं, उनको 30 हजार करोड़ रूपये बहुत ही अल्प समय मं पहुंचाये और उनके हाथ में भी वो पैसा जितना आहरण किये संभव हो सका। किसान योजना के तहत जो किसान है उनके पास भी पैसा पहुंचा इस प्रकार के जितने भी बैंकिग व्यवस्था थी उसे बिल्कुल कायम रखा। उसमें समय पर बैंको ने विशेष रूप से ध्यान रखा कि हमारा जो क्रेडिट फ्लो है यानि जो बटन की व्यवस्था उस समय तो दो तीन महीना तो क्रेडिट फ्लो नहीं था लेकिन जैसे जैसे अनलाक प्रारम्भ हुआ तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है उनके लिये भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी उसके तहत

माननीय वित्त मंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी और बहुत ही अल्प समय में, सर, मुझे आपको ये बाते बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 120 दिन (जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर) में 55 लाख एमएसएमई को एक लाख नब्बे हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति और एक लाख पैंतीस हजार करोड़ रूपये की ऋण का वितरण हो चुका है। जो हमारे छोटे उद्योग थे उनको खड़ा करने के लिये भारत सरकार ने 100% की गारंटी दी और मुझे इस बात को आपको बताने में हर्ष है कि सभी बैंक हमारे विशेष रूप से पब्लिक सेक्टर बैंक के बाद उनके साथ जुड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक और साथ जुड़ गये एनबीएफसी, इन सभी ने इस व्यवस्था को कायम, जैसे लिक्वीडिटी बाजार में जाये और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे जल्दी रीवाइव हो जाये, इस पर विशेष बल दिया गया और निरंतर रूप से वित्त मंत्रालय के सभी विभाग और माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में अनेकों बैठक हुई और बैंक इस चुनौती पर खरे उतरे। दूसरी बात है सर, उसी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी भी क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए, उनके क्लेम का जो अमाउंट है उसको भी इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया ताकि किसी का यदि हास्पिटलाइजेशन हो तो बिल्कुल सीमलेस तरीके से उसका क्लेम शुरू हो जाये और उसको उसका पैसा मिल जाये। इस कठिन समय के दौरान इन लोगों ने बेहतर कार्य किया है। सर, जो आज का विशेष मुद्दा है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे है, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो बैंकिग व्यवस्था है बैंक और जो इंश्योरेंस कंपनिया है उनके जितने भी नियम है वो चाहे भर्ती से संबंधित हो या फिर रोस्टर मेंटेन करने की व्यवस्था हो, वो नियमानुसार डीओपीटी के नियम, भारत सरकार के जो आदेश होते है उसको वह एडाप्ट करने चाहिये और प्रत्येक बैंक में तथा इंश्योरेंस कंपनी में एक लाईसन ऑफिसर घोषित रहता है जो कि एससी/एसटी या ओबीसी से संबंध रखता है जो उस रोस्टर को चैक करते है और जो कल्याणकारी योजनाएं है इन वर्गों के लिये उसका भी क्रियान्वयन हो, मैनेजमैंट के साथ आगे बढ़ाते है। किसी भी एससी/एसटी अथवा ओबीसी के व्यक्ति के किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अथवा भेदभाव का अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसको भी वो एड्रेस करते है और इसी प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार के हमारे मंत्रालय में भी है, लाईजन ऑफिसर की व्यवस्था है और समय-समय पर उसकी समीक्षा होती रहती है और यह व्यवस्था मजबूती से चलती है। ग्रीवान्सेस जो भी आते है उसको भी समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है तो कुल मिलाकर यह व्यवस्था हमारे बैंक में और सभी इंश्योरेंस कंपनियों में लागू है और हम लोग कभी-कभी पार्लियामेंट्री कमेटी के

सामने भी जो मुद्दा आता है तो उसको हम लोग रखते है और इसी प्रकार की ग्रीवांस निस्तारण की बहुत मजबूत व्यवस्था है। आप आगे जो प्रश्न रखेंगे ये लोग उसका जवाब देंगे। जो भी आपका मार्गदर्शन होगा, उसका ये लोग पालन करेंगे। धन्यवाद सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- मैं आपके समक्ष यहा पर जितने बैंक के एमडी और इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी उपस्थित है सबको कोविड में इस समय बहुत ही संघर्षपूर्वक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की वित्तीय व्यवस्थाओं को सूचारू रूप से बनाए रखने के लिये पूरी तरह से संयम रखने के लिये अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और बहुत ही अप्रिशिऐट करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से कार्य किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कंसर्न है, जिस प्रकार से देश की जनता की सेवा करना चाहते है उसमें इस कोविड के संकट काल में आप सभी लोगों ने बहुत ही सरहानीय कार्य किया और साथ ही मैं सैक्रट्री, डीएफएस को भी अप्रिशिऐट करना चाहता हूँ और बधाई देता हूँ कि ओबीसी के हितों के संरक्षण के लिये डीएफएस में सैक्रेट्री के द्वारा 20.07.2016 में एक ओएम जारी किया गया, ओएम का नम्बर था 12/71/2013-Welfare, जिसमें रोस्टर को वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में डालने के लिये कहा गया, दूसरी बात इससे पहले 06.11.2013 को एक डीएफएस मंत्रालय के द्वारा इसी से संबंधित ओएम जारी किया गया था जिसका नंबर 2/02/2013-Welfare था ये भी प्लेसिंग ऑफ रिजर्वेसन रोस्टर डिटेल ऑन वेबसाइट से संबंधित था और जिसमें डीएफएस ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यह अपेक्षा की थी कि 29.07.2016 तक आरक्षण रोस्टर संबंधित जो भी डिटेल है इसे पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाये। सुनवाई में सबसे अच्छी बात है कि सचिव जी, डीएफएस के सबसे उच्च अधिकारी है ये अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर उपस्थित हुए है, इनके सामने मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डीएफएस के इन दोनों निर्देशों का क्रियान्वयन हुआ है।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग:- सर, इसमें मैं सभी बैंको से अनुरोध करूंगा कि रिसपोन्ड करें जो सर्कुलर था जो माननीय सदस्य महोदय ने जिक्र किया है the O.M. he has referred to, has it been implemented?

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग:- एमडी एवं सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक।

एमडी एवं सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक:- सर, हमारे यहां Implement किया गया है।

एमडी एवं सीईओ, पंजाब एण्ड सिंध बैंकः- Sir, we have done upto 2016 and I will confirm it.

सीएमडी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनीः- Upto 2016 we have done, balance we have to do in our website.

एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाः- In the Central Bank of India, on the website of the Central Bank, the roster register has been uploaded upto 31.12.2017.

एमडी एवं सीईओ, इंडियन बैंकः - The roster is in the process of amalgamation, we will be uploading it within a month.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- मैडम, कब तक किया है।

एमडी एवं सीईओ, इंडियन बैंकः - I don't think it have done, अभी हम कर रहे है 1 महीने के अंदर हो जायेगा।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभागः- - मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हाल में 01.04.2020 को इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों मर्ज हुए है तो पूरी इनकी जो एचआर है उसका स्वरूप बदल गया है अब वो भी नया रोस्टर डालेंगें 1 महीने के अंदर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- सैंट्रल बैंक ने आयोग को शपथ-पत्र पर लिखकर दिया है कि 2009 से पहले का रोस्टर बैंक के पास उपलब्ध नहीं है। आयोग ने पूछा की 2009 के पहले का रोस्टर नहीं है तो आपने कोई एफआईआर दर्ज करायी, तो इन्होनें कहा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया आयोग ने पूछा की आपने वित्त मंत्रालय को सूचना दिया, इन्होंने कहा वित्त मंत्रालय को कोई सूचना नहीं दिया गया। इतना बड़ा बैंक है आप चाहे तो इनके रिप्लाई को ऐफिडेविट पर देख सकते है। फिर मैं आपको पीएनबी के बारे मे बताने जा रहा हूँ, 08.09.1993, 02.07.1997 और 31.12.1997 का रोस्टर मांगा गया इनके द्वारा बताया गया रोस्टर इनके पास उपलब्ध नहीं है, Roster is not traceable है और डीएफएस सैक्रट्री होने के नाते आयोग आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि इनके द्वारा जो रोस्टर आयोग को प्रस्तुत

किया गया था वो पूरा रोस्टर प्रिंट निकाल कर दिया गया तथा उस रोस्टर पर किसी अधिकारी व कर्मचारी के साइन नहीं थे, आप लाईसन ऑफिसर के साइन की बात छोड़ दीजिये और एक बैंक अधिकारी ने कहा था कि मुझे रोस्टर बनाना नहीं आता है मैं सबके सामने उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता और साक्ष्य के रूप में वो कागज भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैं इंडियन बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंडियन बैंक लगातार आयोग को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इंडियन बैंक के शपथ-पत्र के अनुसार इंडियन बैंक का 08.09.1993, 02.07.1997 और 31.12.1997 क्लर्क, सब-स्टाफ का रोस्टर उपलब्ध नही है और इंडियन बैंक के द्वारा यह भी बताया गया कि आग लगने के कारण सारे रोस्टर हैड ऑफिस में जल गये, लेकिन आपके माध्यम से आयोग यह जानना चाहता है कि इंडियन बैंक के द्वारा एक तरफ तो यह बताया गया कि हमारे रोस्टर रीजन वाईज मेंटेन होते है हम रोस्टर को रीजनल ऑफिस से मंगा कर देंगे और पहली सुनवाई में एमडी, इंडियन बैंक के द्वारा कहा गया था कि सारे रोस्टर आपको भेज दिये जायेंगे जब आयोग की तरफ से फॉलोअप किया गया तो काफी लम्बे समय के बाद बताया गया कि हमारे यहां रोस्टर में आग लग गयी है और ये रोस्टर उपलब्ध नहीं है फिर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पंजाब एंड सिंध बैंक का भी रोस्टर आग लगने से जल गया है, यहां भी रोस्टर उपलब्ध नहीं है आयोग को एफआईआर, इंक्वायरी रिपोर्ट बैंक देने में सक्षम नहीं है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने 1993, 1997 के रोस्टर संबंध में बताया कि 2002 के पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता था वहां से रोस्टर मंगा कर देंगे लेकिन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आयोग को रोस्टर मंगा कर नहीं दिये गये और आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के रोस्टर देखकर लगता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा इतनी बड़ा संस्था है रोस्टर के बीच बीच में अगर कहीं 1998, 1999 चल रहा तो बीच में कोई दूसरी डेट आ जाती है और उस रोस्टर को देख के लगता नही है कि रोस्टर है और आप के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि 8 साल से डीएफएस के द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का रोस्टर चैक नहीं हुआ, डीएफएस के अधिकारी के द्वारा, जिसके आपको द्वारा नामित

किया गया है, वो आपके नॉमिनेशन के बावजूद वहां जाकर रोस्टर वेरिफाई करने को जहमत नहीं उठा सके। आपके संज्ञान में मैं फिर से लाना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी बैकलॉग का पोजिशन बहुत अच्छा नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कोई बैकलॉग नही है। मैं पंजाब नेशनल बैंक को बधाई देता हूँ अगर ये सही है। तो इंडियन बैंक के अंदर रिजर्वेशन के 27 साल के बाद भी बैकलॉग है । पंजाब एंड सिंध बैंक में बैकलॉग है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में भी बैंकलाग है Pre-promotional training जो कि डीएफएस का सीधे-सीधे निर्देश है ओबीसी को देने के लिये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देता है, पंजाब नेशनल बैंक नहीं देता है। इंडियन बैंक नहीं देता, पंजाब सिंध बैंक नहीं देता, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में इस पर जानकारी देना उचित नहीं समझा। डीओपीटी का और डीएफएस के द्वारा एक निर्देश है मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ डीओपीटी में 13.02.2014 को सिलेक्शन बोर्ड कमेटी में ओबीसी का अलग मेंबर होने का निर्देश जारी किया इसी निर्देश को आगे बढ़ाते हुए डीएफएस ने 24.02.2014 को ओएम न. 20/26/2014-Welfare के द्वारा सभी संस्थाओं को सिलेक्शन कमेटी में सेपेरेट ओबीसी मेंबर रखने हेतु निर्देश जारी किया था लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है वह नहीं रखते है, PNB नही रखते है, Indian Bank ने कहा है कि हम सम्मिलित करते है लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट मांगने पर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिये। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि डीएफएस के द्वारा नामित अधिकारियों के द्वारा अंतिम बार रोस्टर कब चैक किया गया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का रोस्टर 2012 तक चैक हुआ। पंजाब एंड सिंध बैंक का 2016 तक चैक हुआ है, इंडियन बैंक का 2017 तक चैक हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का 2016 तक चैक हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी साहब बताये कि इनका कब तक चैक हुआ है।

<u>एमडी एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</u>:- 2017 तक का डीएफएस वेरिफिकेशन हुआ।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u>:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ओबीसी कैटेगरी का चीफ लाईसन ऑफिसर बनाने के लिये कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है जिसको ओबीसी का चीफ लाईसन ऑफिसर बनाया जा सके। इंडियन

बैंक ने कहा है कि सीएलओ ओबीसी कैटेगरी का बनाया है, जब उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया तो उन्होंने एक सादे कागज पर विलेज ऑफिसर के द्वारा लिखकर दे दिया कि वो ओबीसी सर्टिफिकेट है। जहा तक मैं जानता हूँ कि विलेज ऑफिसर के द्वारा जाति या कैटेगरी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक में भी ओबीसी का कोई व्यक्ति सीएलओ बनने लायक, उस रैंक का कोई अधिकारी नहीं है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी में ओबीसी कैटेगरी का सीएलओ बनाया गया है। आपके संज्ञान में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्केल-6 व स्केल-7 में ओबीसी का रिप्रिजेंटेशन जीरो है। पंजाब नेशनल बैंक में स्केल 5 से 6 में, स्केल 6 से 7 में व स्केल 7 से 8 में ओबीसी जीरो है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जीएम, डीजीएम में ओबीसी जीरो है। इंडियन बैंक में जीएम की रैंक में 40 में से 7 अधिकारी ओबीसी के है, डीजीएम रैंक पर 127 में से 11 अधिकारी ओबीसी के है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डीएफएस की एक गाइडलाइन है कि वार्षिक रिपोर्ट में ओबीसी का चैप्टर शामिल किया जायेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ओबीसी का चैप्टर शामिल करने की जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करने की कोशिश किया गया है जिस प्रकार से जो डीएफएस का गाइडलाइन है उसके हिसाब से ओबीसी चैप्टर शामिल नहीं किया गया है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनीं ने डीएफएस का चैप्टर अपने वार्षिक रिपोर्ट शामिल करने की आवश्यकता नहीं समझी, बाकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक तीनों ने शामिल किया है। सबसे गंभीर बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि डीओपीटी ने एक मॉडल रोस्टर बनाया है और मॉडल रोस्टर पर सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी सबका प्वाइंट निर्धारित किया गया है। अगर मैं ओबीसी की बात करू तो ओबीसी का 4वां नम्बर, 12वां नम्बर, 16वां नम्बर निर्धारित है। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो निर्धारित रोस्टर का प्वाइंट है उस पर अगर संबंधित विभाग के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है तो उसको Swapping of the post कहते है और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ क्योंकि सभी बैंको द्वरा आपको अच्छी रिपोर्ट दिया गया है ये लोग कोविड संकट में फाइनेंस सेक्टर में अच्छा काम भी किये है, लेकिन जहां तक ओबीसी का कंसर्न है इन लोगों ने सीटों की Swapping की है और आपके संज्ञान में विशेष तौर पर लाना चाहता हूँ

कि 2014 के पहले ये बहुत बड़े पैमाने में, मुझे जो लगता है कि Swapping of post कहीं भारी घोटाला तो नही है, जिस प्रकार से किया गया है इन अधिकारियों के द्वारा उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है जो पूर्व के लोगों ने गड़बड़ी किया है वह संज्ञान में आना चाहिये, जिस पर कार्यवाही होनी चाहिये। उसको ठीक करने की प्रक्रिया अपनाने के बजाये उसको दबाने की कोशिश की जा रही है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो ओबीसी का कंसर्न है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और जो ओबीसी का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। और जिन लोगो ने Swapping of post किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिये वो आप अच्छी तरह जानते है और आयोग आपसे अपेक्षा करता है जिन लोगों ने जब भी Swapping of post की है तो जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के तहत आप कार्यवाही करें। जो आप सब के द्वारा बनायी गयी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आपके संज्ञान में एक बार लाना चाहता हूँ Cases of negligence or lapse in the matter of following the reservation and other orders relating to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes the person the persons with Disabilities and the Other Backward Classes coming to the light through the inspections carried out by the liaison Officer or otherwise, should be reported/submitted by him to the Secretary/Additional Secretary to the Government of India in the respective Ministry /, Department or to the Head of the Department in respect of offices under the Head of Department, as the case may be. The concerned Secretary/Additional Secretary/Head of the Department shall pass necessary orders on such reports to ensure strict compliance of the reservation orders by the appointing authority concerned. और सैक्रेटरी साहब मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सभी बैंको में सभी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूश्न में, डीएफएस के द्वारा एक कोई बड़ा अधिकारी बोर्ड के अंदर एक बडे अधिकारी डायरेक्टर के रूप में के रूप में नामित था। और डीएफएस के अधिकारी के रहने के बावजूद जो भी ओबीसी का कंसर्न है उस पर पूरी तरह से इग्नोरेंस हुआ है और सिर्फ ओबीसी का कंसर्न प्रभावित नहीं हुआ है, रोस्टर अगर प्रभावित हो रहा है, जो उसमें यूआर कैटेगरी भी प्रभावित हो रही है, एससी भी प्रभावित हो रही है, एसटी भी प्रभावित हो रही है और ओबीसी भी प्रभावित हो रही है। जो हमारा मेंडेट है जिसका काम करने के लिये मुझे सरकार ने ओथेराइज किया है और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि ओबीसी का सेपरेट सेल भी नहीं बना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कमीशन की मीटिंग के बाद

बताया गया कि सेपरेट सेल बन गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने सेल नहीं बनाया है, इंडियन बैंक ने अभी तक ओबीसी का सेल नहीं बनाया है, पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने कोई सेल नहीं बनाया है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी ने भी ओबीसी का सेल नहीं बनाया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो लाईसन ऑफिसर है, जो मंत्रालय की तरफ से नॉमिनेटेड है उनके द्वारा किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आयोग जानना चाहता है कि जिन लोगों ने इस प्रकार से गैर-जिम्मेदारी का काम किया है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी में 8 साल से, पंजाब नेशनल बैंक में 2 साल से, इसी तरह कही 3 साल से, कहीं 4 साल से उनके द्वारा रोस्टर का वेरिफिकेशन नही किया गया है, जिनको नीतियो को क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी दी गयी थी, जो मंत्रालय की तरफ से नामित थे, उन्होने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वहन नही किया है। एक तरफ से वह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में बैंकों व फाइनेंशियल संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं किया है जिसके कारण सालों से मंत्रालय द्वारा रोस्टर का वेरिफिकेशन नही हो सका है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों पर सैक्रेटरी, डीएफएस द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभागः- धन्वाद सर, आपने कई सारे मुद्दे उठायें हैं अगर आपकी अनुमति हो तो पहले बैंकों के एमडी एवं सीईओ से रिस्पोंस ले लेते है, एमडी, पंजाब नेशनल बैंक, बताइये ।

एमडी एवं सीईओ, पंजाब नेशनल बैंकः- PNB roster has been verified upto 31.12.2018 and we are ready with data for 31.12.2019.

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभागः- No, he has raised 5 – 6 important issues. It is mandate that we should follow all those instructions sent from time to time, from DFS also instructions have gone. So, the concerns he has raised are valid. I request to each one of you will be very quickly put a small team and put a responsible ED or CGM level officer to look into the issue, whether the rosters have been prepared, whether the rosters have been updated and whether they are on the website after due vetting by the Liaison Officer. From the Ministry/Department also we will depute a team to do the validation of the preparation of the roster in accordance with the

guideline issued by DoPT from time to time and an updated roster should be placed on the website for the consumption of the public also, that is the first and foremost. Second issue he has raised is that there are a large number of institutions, I think he has mentioned about 2 or 3 institutions where you don't even have the Chief Liaison Officer, so you need to immediately depute a Chief Liaison Officer if that position is not yet filled up. Third, he also spoke about the pre-promotional training which are not being held regularly. The pre-promotional training schedule should also be prepared well in advance, it could be put on the website so that concerned officers belongings to this category can avail of the training facilities much before the promotion exercise that is undertaken so that they get due benefits of getting promoted to the next higher scale. Then he also placed the issue of swapping of the posts and important one, you need to again look at it that whether there have been violation of the rules with regard to filling up of those vacancies. Then he also mentioned about the Annual Report and Annual Report is placed and chapter is included in the Annual Report. It should not be a object for formality, it should actually have the content which is desirable to be placed in the Annual Report. Then DoPT has also circulated the model roster that should be a guiding principal for you to design your roster for filling up the vacancies of OBC category. Then he also mentioned about creating a separate cell तो ये 7-8 चीजों के बारे में माननीय सदस्य महोदय ने क्लियरली जो भारत सरकार की सर्कुलर है, डीएफएस के सर्कुलर है और उसके फॉलोअप एक्शन में आपका कहीं आधा-अधूरा काम ही हुआ है इसलिये आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मैं माननीय कमीशन की जो चिंता है वो बिल्कुल वाजीब है So, we need to put our house in order immediately.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पांचों संस्थाओं ने किसी ने रोस्टर खो दिया है किसी ने रिपोर्ट दिया है कि रोस्टर जल गया है ना तो रोस्टर जलने का कोई प्रमाण है और ना ही एफआईआर हुई है और ना ही कोई जांच रिपोर्ट है। आपके यहां मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष इनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में एनुअल रिटर्न भी भेजी जाती होगी, तो क्या भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग:- Hon'ble Member raised another issue. So, I am just only summarizing that these are the 7-8 points and the last point of course is the non-availability of the roster and where it has been mentioned somewhere it get

burnt and somewhere it get misplaced but what follow-up action has been taken, whether an FIR has been lodged or whether any complaint has been lodged and how you have tried to retrieve it, re-construct it, what effort has gone into it. So, these are the 7-8 points that he has raised if each one of you could quickly set a respond and also decide a timeframe under which you will put the entire thing in order then things put in place again so that the benefit of reservation actually get passed on to the deserving OBC category employees and officers or aspirant who want to join the bank. So let me begin with the Punjab National Bank.

एमडी एवं सीईओ, पंजाब नेशनल बैंकः- Regarding roster as I have indicated upto 31.03.2018 it has been verified and upto 31.12.2019 it is available on the website With respect to Hon'ble Member indicating the non-availability of old rosters, we have noted down and I have verified again how we can identify them or re-construct them. Regarding Chief Liaison Officer, Hon'ble Member has indicated about no person in the General Manager Cadre, we have already identified one DGM, within the next two days he will be designated as Chief Liaison Officer. Regarding pre-promotional training, in the next promotion, we will ensure that they will be provided pre-promotional training.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- सैक्रेटरी साहब ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी ने एक ऐफिडेविट भेजा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है इनसे पूछा गया था कि How many times group-wise post based roster register has been recasted between 08.09.1993 to 31.12.2018 by Oriental Insurance Company and its Subsidiaries and the reply is the roster have been recasted as required by change in formats ये बात मैं आपके संज्ञान में इसलिये लाना चाहता हूँ या तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी को इस नियम के बारें में जानकारी नहीं है। जो वहां के एचआर हैड है या जो बड़े अधिकारी है उनको इस रीकास्ट के बारें में जानकारी नहीं है या वो आयोग को मिसलीड कर रहें हैं। दूसरा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पूछा गया था कि It is true that the Supervisory officer should maintain a confidential diary in which instances which create suspicion about the integrity of a subordinate should be noted from time to time and action to verify the truth of such suspicion should be taken expeditiously by making confidential enquiries departmentally or by referring the matter to the Special Police Establishment. इनके द्वारा ये दिया गया है No such provision is there under CDA Rules for maintaining

confidential diary और जबकि डीओपीटी की गाइडलाइन है आप इस गाइडलाइन के बारे में भली-भांति जानते होंगे, इस प्रकार से इन वित्तीय संस्थाओ द्वारा यह जवाब दिया जाता है। एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि डीओपीटी के द्वारा ओबीसी का अलग से इंटरव्यू करने का कोई आर्डर इशु नहीं किया गया है अगर आर्डर इशु किया गया हो तो वह मुझे दिखाया जाये कि ओबीसी का रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशन में सेपरेट इंटरव्यू होगा। ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिख कर दिया गया है कि ओबीसी का अलग से इंटरव्यू होता है वो मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ लेकिन आपके पास समय की कमी है और आपके संज्ञान में मैं विशेष तौर पर लाना चाहता हूँ कि आईबीपीएस भी ओबीसी का अलग से इंटरव्यू करता है यह ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है कि पहले ही ओबीसी को आईडेंटीफाई कर दिया जाता है जबकि सरकार की कोई इस तरह की मंशा नहीं है मैने आजतक न ही डीएफएस का और ना ही डीओपीटी कोई भी गाइडलाइन देखा है अगर आपके संज्ञान में कोई भी गाइडलाइन हो तो आयोग के संज्ञान में उसे प्रस्तुत किया जाये।

<u>सचिव, वित्तीय सेवाएं विभागः-</u> आपके जो बिंदु है सभी एमडी ने उसको भली-भांति और अच्छे से सुन लिया है और यहां से जो बिंदु आज आपके इस दिशा-निर्देश के दौरान आया है वो मैं आग्रह करूंगा कि यहां ये Additional Secretary and Joint Secretary दोनों मौजूद है आज ही या कल तक वो इनको इस सभी बिंदुओं पर जो अपेक्षित कार्यवाही है उसके बारे में निर्देश दे देंगे और इनसे ये अपेक्षा की जायेगी कि अगले 45 दिन में ये सारे Activity को पूरा कंप्लीट करें और डीएफएस के जो लाईसन ऑफिसर है इन बिंदुओ को उनसे भी पुष्टि करा लेंगे। तो मान्यवर, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इनको ये समय हम लोग प्रदान कर देते है जिसके दौरान ये सारे काम कम्पलीट करेंगे। इसमें जरूर कहीं न कहीं कमी रही है उचित लेवल पर पर्वेक्षण भी ढ़ग से नहीं किया गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है और स्पष्ट रूप से वह उभर कर भी आ रहा है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u>:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में उल्लेखित है माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सब जगह सर्वमान्य होगा The Supreme Court's decision are binding on all the other Courts श्रीमती

इंदिरा साहनी की 9 जजों की पीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि जो लोग भी ऑन मेरिट पर आयेगें उनको यूआर कैटेगरी में ही एडजस्ट किया जायेगा और जो ये अलग से इंटरव्यू का प्रावधान है ये प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वॉयोलेशन है, ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते है और आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि जो रिकार्डस इन संस्थाओ द्वारा आयोग को दिया गया है आईपीसी की धारा 181 में शपथ-पत्र पर गलत विवरण दिये जाने पर संबंधित को 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जो भारत के संविधान के अनुसार कार्यवाही करें। अगर कोई छोटा कर्मचारी कोई छोटी गलती कर देता है तो ये लोग उसको बैंको से निकाल देते है, संबंधित संस्था से बाहर कर देते है इतने बड़े-बड़े जिम्मेदार अधिकारी है और आयोग को लिखकर दे रहे हैं कि हमारा रोस्टर जल गया है, सेपरेट इंटरव्यू करेंगे, मैं ना डीओपीटी के आर्डर नहीं मानूंगा और ना ही डीएफएस के आर्डर को मानूंगा। मैं डीएफएस को एप्रिशियेट करता हूँ कि दो - तीन ओएम डीएफएस ने इशु किये है लेकिन इन वितीय संस्थाओं के द्वारा कोई भी आर्डर नहीं माना जा रहा है मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ मेरा ही आर्डर नहीं माना जा रहा है लेकिन आज इन आदेशों को देखकर मुझे लगा कि डीएफएस के द्वारा भी दिये गये आदेशों को इन संस्थाओं के द्वारा नहीं माना जा रहा है और सचिव साहब रोस्टर जलना और रोस्टर गायब होना बहुत बड़ा कंसर्न है। जिन बैंको के ऊपर लोग भरोसा करके अपना जीवन की सारी कमाई उनके लॉकर में, उनके यहां डीपोजिट में रखकर के आते है वो बैंक अपने कर्मचारियों के रोस्टर की रक्षा नहीं कर पा रही है तो लोगो के जीवन भर की कमाई के बारे में कुछ नही कहूँगा। आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आईपीसी की धारा 464, 465, 466, 470 और 471 इन लोगों को पढ़वाया जाये और जो इन लोगों ने जो लापरवाही की है इनके अनुरूप आपसे अपेक्षा है कि निश्चित रूप से जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्यवाही किया जाये। आप 45 दिन का समय देना चाहते है वो फिर इसी तरह चलता रह जायेगा। मैं कम से कम 1 से 2 बार, 4 से 5 बार सुनवाई कर चुका हूँ। मैने काफी प्रयास किया, मुझे लगा ये लोग मानने वाले नही है तो मैंने आपको तकलीफ दूं। आप से आयोग की अपेक्षा है और मैं यह कहना चाहता हूँ 17.09.2019 का माननीय सुप्रीम

कोर्ट का जजमेंट आया था ये जजमेंट ओबीसी के सेपरेट इंटरव्यू के बारे में है, इन लोगों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभागः- आपका यह प्वाइंट बिल्कुल सही है कि कोई भी ओबीसी हो चाहे एससी/एसटी हो वो इसके साथ अपने कंप्टीशन में परीक्षा भी देंगे, इंटरव्यू भी देंगे। कई इसमें से ऐसे हो सकते है कि अपने मेरिट में ही स्थान ग्रहण कर ले, रिजर्वेशन की उनको आवश्यकता ही ना पड़े, ये तो एक फेक्ट प्रिंसिपल है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई डायलूशन किसी भी स्तर पर किया होगा। उसको ठीक करने की आवश्यकता है और किस आर्डर, डीओपीटी या किसी मंत्रालय के आदेश के तहत इसको डायलूट किया गया, ये आप लोगों के देखने की बात है। आयोग की जो इसमें चिंताये है, बिल्कुल वाजीब है और मैं फिर से अनुरोध करूंगा माननीय सदस्य महोदय से कि आप लोगों का यह समय, लेकिन आप समझिये कि मैं उनसे प्रार्थना कर के ले रहा हूँ आप को बिल्कुल सारी व्यवस्था को एक बहुत ही सही ढ़ंग से कायम करना है और यहां पर आपको मोनिटर करेंगे हमारे Additional Secretary and Joint Secretary बैठे है तो ये एक व्यवस्था आपकी कायम होनी चाहिये। ये कोई आप इसमें we all are guaranteed by the various constitution or by the various provisions that Government have made. It has to be implemented both in letter and spirit and the responsible officer of course should be pulled up for not fulfilling his/her responsibility मैं सभी एमडी को आग्रह करूंगा कि आपके जो जीएम, सीजीएम (एचआर) या ईडी(एचार) है उनसे आज ही आप मीटिंग करिये, या कल तक मीटिंग करके उन सब को सेन्सीटाइज करिये, ये महत्वपूर्ण बिंदु है यह दोबारा रिपीट नही होना चाहिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- जिन बैंको ने रोस्टर जला दिये है उसका क्या करेंगे।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभागः- उनका भी पता करेंगॉ, उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे, कि कैसे जला, क्यों जला, क्या कार्यवाही हुई। दोनों बैंक जिस प्रकार की घटना हुई है वो

बतायेगें कि किन परिस्थितियों में रोस्टर जल गया, उसका फॉलोअप क्या हुआ, उन दस्तावेजों के लिए कौन रिस्पोंसिबल है, वो जानकारी देंगे उनकी डयूटी है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- जिन सीएलओ द्वारा रोस्टर, आपके द्वारा निर्धारित करने के बाद भी चैक नहीं किया गया, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का चैक हुए 8 साल, किसी का 4 साल, 3 साल हो गये, आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि उन लोगों को भी जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही करें नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा। आयोग आपसे यह भी अपेक्षा कर रहा है कि 45 दिन ना देकर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय दिया जाये क्योंकि पहले भी बहुत समय दिया जा चुका है और लगभग 5-6 महीने हो गये मैं लगातार समय दे रहा हूँ आप इनको 15 दिन का समय दीजिये और इन सारी चीजों को प्रयास पूर्वक पूरा किया जाये।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग:- सर, मैं उन्हें 15 दिन ही दूंगा, मैने समय अपने पास रखा है ताकि जब आयोग के समक्ष ये सब जायेगा तो कम्पलीट और पूर्ण रूप से जाये। तो मैं इसलिये आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आज की तिथि से 15 दिन का समय आप उनको दीजिये और 21 दिन का समय आप लीजिये।

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग:- ठीक है मान्यवर। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपके समय के लिये और आपके मार्ग दर्शन के लिये। और सभी एमडी please at your own level you need to take this up very seriously and the kind of information आपने डायवल्ज किया बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे आप दे रहे है that only shows that कि उसको कोई गंभीरता से नहीं देखा गया। कुछ बैंकों ने अपना काम किया है कुछ जो बचा है वो उसको पूरा कर ले, कुछ बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी में तो कुछ नहीं हुआ है, तो इसको करिये, 15 दिन का समय जैसा माननीय सदस्य महोदय ने कहा है आपको चिठ्ठी कल मेल में मिल जायेगा जो प्वाइंट्स उभर कर आये है and kindly do the needful and send a compliance report to us and once we see that then we will ask

you to file a compliance report to the Commission also मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय और मार्गदर्शन के लिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- धन्यवाद।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्रीमती एस.एन. राजेश्वरी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(श्री एस. कृष्णन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(श्री पल्लव महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(सुश्री पद्मजा चुन्डूरू)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
इंडियन बैंक

(श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक

(श्री देबाशीष पांडा)
सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार